उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–08/2022–23

साईमन सोरेन

बनाम्

उत्तम कुमार राम एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 14/3/23

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता साईमन सोरेन, पे0–स्व0 माईकल सोरेन, सा0–तेलडीहा, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–15/2018–19 के आदेश दिनांक–07.03.2022 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0–15/2018–19 के आदेश दिनांक–07.03.2022 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तम कुमार राम, पिता–श्रीकांत राम को मौजा–तेलडीहा नं0–539 का प्रधान नियुक्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–तेलडीहा नं0–539 के अंतिम प्रधान रामनारायण राम थे। उनकी मृत्यु दिनांक –13.01.2019 को होने के कारण उक्त मौजा का प्रधानी पद रिक्त हुआ। अंतिम प्रधान रामनारायण राम को चार पुत्र क्रमशः श्रीकांत राम, रजनीकांत राम, सुरेन्द्र प्रसाद राम एवं देवेन्द्र कुमार राम है। लेकिन गत प्रधान के कोई भी पुत्र उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया है। बल्कि उत्तरवादी सं0–01 उत्तम कु0 राम ने उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। यद्यपि वह अंतिम प्रधान के पुत्र नहीं थे। फिर भी उत्तरवादी सं0–01 ने उत्तराधिकारी के आधार पर प्रधानी पद पर दावा किया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता ने भी उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया था। दोनों आवेदक के आवेदन पर अंचल अधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी एवं जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात मामले को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत योग्य पाया तथा आदेश

दिनांक–23.12.2020 के द्वारा मामले को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत प्रारम्भ किया गया एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा से जमाबंदी रैयतों की सूची की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, गोड्डा ने भी उक्त मौजा में आम सभा द्वारा प्रधान की नियुक्ति के लिए सहमति दिया। उनका आगे यह कथन है कि उत्तरवादी सं0–01 उत्तम कुमार राम मौजा–तेलडीहा के निवासी नहीं है। वे मौजा–शुण्डमारा के स्थायी निवासी है और ग्राम–तेलडीहा से ग्राम–शुण्डमारा की दूरी 01 मील से अधिक होने के कारण उत्तरवादी सं0–01 उक्त मौजा के प्रधानी पद के लिए योग्य नहीं है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी सं0–01 के पिता उक्त मौजा के अंतिम प्रधान नहीं थे। इस कारण उत्तरवादी सं0–01 गत प्रधान का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है और चूँकि उत्तरवादी सं0–01 उक्त मौजा के रैयत नहीं है एवं मतदाता सूची में नाम नहीं है। फिर भी निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी सं0–01 को चुनाव में शामिल किया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश दोषपूर्ण है। उनका आगे कथन है कि मतदान के लिए मतदाता सूची में दर्ज रैयतों में से एक रैयत बाबूलाल सोरेन, पे0–स्व0 मंगल सोरेन सेन्ट्रल जेल, भागलपुर में है। लेकिन उनके नाम से भी फर्जी मतदान किया गया। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा नियम संगत तरीके से उत्तरवादी सं0–01 को मौजा–तेलडीहा का प्रधान नियुक्ति नहीं किया है। चूँकि एक तो उत्तरवादी सं0–01 का निवास स्थान मौजा–तेलडीहा से एक मील से अधिक दूरी पर है एवं उत्तरवादी सं0–01 गत प्रधान के पुत्र नहीं है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–तेलडीहा के अंतिम प्रधान राम नारायण राम थे। अंतिम प्रधान की मृत्यु के बाद उत्तरवादी सं0–01 उत्तम कुमार राम ने उत्तराधिकारी के आधार पर उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया एवं अपीलकर्त्ता साईमन सोरेन एवं अन्य के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया। सभी के आवेदन को जाँच हेतु अंचल अधिकारी, गोड्डा को भेजा गया। अंचल अधिकारी, गोड्डा ने जाँच करने के बाद अपना जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–1275/रा0 दिनांक–07.08.2019 के द्वारा

भेजा एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा ने दूसरा जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–1276/रा0 दिनांक–07.08.2019 के द्वारा भेजा। अंचल अधिकारी, गोड्डा ने अपने जाँच प्रतिवेदन मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि मौजा–तेलडीहा के अंतिम प्रधान रामनारायण राम थे, जिनकी मृत्यु दिनांक–13.01.2019 को हो गयी है। उत्तरवादी सं0–01 उत्तरवादी उत्तम कु0 राम, पे0–श्रीकांत राम के ज्येष्ठ पुत्र है एवं गत प्रधान के पोता है। गत प्रधान राम नारायण राम अपने पीछे चार पुत्र क्रमशः श्रीकांत राम, रजनीकांत राम, सुरेन्द्र प्र0 राम एवं देवेन्द्र कुमार राम को छोड़कर फौत कर गये। उत्तरवादी सं0–01 उत्तम कुमार राम गत प्रधान रामनारायण राम के ज्येष्ठ पुत्र श्रीकांत राम के ज्येष्ठ पुत्र है एवं उत्तरवादी सं0–01 ने ही उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। गत प्रधान के किसी अन्य वंशज के द्वारा प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया है। उन सभी ने शपथ पत्र के द्वारा उत्तरवादी सं0–01 उत्तम कुमार राम का समर्थन किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने भी उक्त मौजा के सौलह आना रैयतों को नोटिश दिया। नोटिश पर मौजा के सौलह आना रैयत उपस्थित हुए एवं उत्तरवादी सं0–01 उत्तम कुमार राम को 172 रेयतों की सहमति प्राप्त हुआ तथा उक्त मौजा के सौलह आना रैयतों के आम स्वीकार्यता के आधार पर उत्तरवादी सं0–01 को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया है। साथ ही अंचल अधिकारी, गोड्डा के जाँच प्रतिवेदन में भी स्पष्ट उल्लेख है कि उत्तरवादी सं0–01 उत्तम कुमार राम गत प्रधान राम नारायण राम के पोता है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि मौजा–शुण्डमारा, मौजा–तेलडीहा से सटा हुआ है। उनका आगे कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने रैयतों से आम सहमति प्राप्त करने के लिए मतदान आयोजित किया गया था। मतदान और सहमति मे बहुत अंतर है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत रैयतों से सहमति प्राप्त किया जाता है एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत वोट प्राप्त किये जाते है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने रैयतों से आम सहमति प्राप्त कर उत्तरवादी सं0–01 उत्तम कुमार राम को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया हे। आपेक्षित आदेश में कोई अनियमितता नहीं है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–15/2018–19 में दिनांक–07.03.2022 के आदेश

को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है।

सभी पक्ष के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा तेलडीहा नं0–539 प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के गत प्रधान राम नारायण राम था। गत प्रधान राम नारायण राम की मृत्यु हो गयी है। गत प्रधान राम नारायण राम के चार पुत्र क्रमशः श्रीकांत राम वो रजनीकांत राम वो सुरेन्द्र प्र0 राम वो देवेन्द्र कुमार राम है। उत्तरवादी उत्तम कुमार राम श्रीकांत राम के ज्येष्ठ पुत्र है एवं गत प्रधान के चारों पुत्रों के द्वारा शपथ पत्र के द्वारा उत्तरवादी उत्तम कुमार राम का समर्थन किया गया है तथा उत्तरवादी को रैयतों का भी समर्थन प्राप्त है। चूँकि उत्तरवादी की नियुक्ति रैयतों के सहमति के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची V के अनुसार Next heir के आधार पर किया गया है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–15/2018–19 में दिनांक–07.03.2022 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

14/3/23

उपायुक्त,
गोड्डा।

14/3/23

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:02:26 +05:30
Location: 172.21.32.1